Higher Education

Dr. Mukesh Pancholi

(5) डेंटल काउसिंल ऑफ इंडिया (DCI) –

भारतीय दंत परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसे पूरे भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा व दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए दंत संसदीय एक्ट, 1948 चिकित्सक एक्ट (1948 की धारा - 16) के अंतर्गत निर्गमित किया गया है और इसे अनुदान सहायता स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

भारतीय दंत परिषद् में विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार व Universities के Dental Colleges के प्रतिनिधि शामिल है। अध्यक्ष – डॉ. दिव्येंदु मजूमदार

Dr. Mukesh Panchal

(6) फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) –

भारत में स्नातक स्तर के फार्मेसी तक की शिक्षा व पेशे को PCI द्वारा विनियमित किया जाता है, जो कि संसद में पारित फार्मेसी एक्ट 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित एक सांविधिक निकाय है।

PCI का गठन Pharmacy Act की धारा – 3 के तहत किया गया था।

अध्यक्ष – Dr. S. रामचंद्र शेट्टी

Dr. Mukesh Pancholi

(7) भारतीय नर्सिंग परिषद् (INC) –

(International Nurses Day – 12 May)

भारतीय नर्सिंग परिषद् भारत सरकार के तहत् एक स्वायत्त निकाय है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार के नर्सिंग परिषद् एक्ट, 1947 की धारा 3(1) के तहत् किया था। ताकि नर्सों, स्वास्थ्य, आगुंतकों के प्रशिक्षण के मानक तय किए जा सके।

(8) Bar Council of India (BCI) –

बार काउसिंल ऑफ इंडिया, संसद द्वारा बनाई गई वैधानिक संस्था है, ताकि पेशेवर आचरण व शिष्टाचार मानकों को निर्धारित करके अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके नियामक कार्य करते रहते है।

Dr. Mukesh Pancholi

यह परिषद् कानूनी शिक्षा के लिए भी मानक निर्धारित करते है, व उन विश्वविद्यालयों की मान्यता प्रदान करते है, जो कानून में डिग्री देते है।

इसके ये अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों व हितों की रक्षा करके उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित कर वित्तीय सहायता देते है।

Bar Council of India की स्थापना संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत् की गई थी। धारा 7 के तहत् इसे भारत में कानूनी पेशे व शिक्षा के लिए कुछ अधिकार व कर्त्तव्य दिए गए है, जिनका ये पालन करता है।

Dr. Mukesh Pancholi

(9) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (CCH) –

यह आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत् एक सांविधिक निकाय है। जिसे भारत सरकार ने 1973 में भारत में उच्च शिक्षा विभाग में UGC के तहत् गठित किया था।

(10) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (CCIM) –

CCIM (Central Council of Indian Medicinal) का गठन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के गजट नोटिफिकेशन भाग (2) खंड (3) 10 अगस्त, 1971 के वैधानिक निकाय के तौर पर गठित किया गया।

Dr. Mukesh Pancholi

(11) दूरस्थ शिक्षा परिषद् (Distance Education Council-DEC) –

भारत में दूरस्थ शिक्षा 1962 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पत्राचार पाठ्यक्रम के साथ शुरु हुई। जिसके कारण Delhi University में School of Correspondce पाठ्यक्रम का जन्म हुआ।

परियोजना की सफलता के बाद अनेक विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु हुए जिसे देखते हुए इस स्कूल (दिल्ली विश्वविद्यालय) को पहले निदेशालय या दूरस्थ शिक्षा के केन्द्र के रूप में बदला गया।

Dr. Mukesh Pancholi

- 1982 में बी. आर. अंबेडकर वर्तमान नाम तेलंगाना Open University की स्थापना की गई।
- 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर हुई।
- हालांकि भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए वैधानिक अधिकार यूजीसी का है, लेकिन Open & Distance Learning के प्रचार व समन्वय की जिम्मेदारी IGNOU को IGNOU, 1985 के तहत् दी गई।
- दूरस्थ शिक्षा परिषद् की स्थापना IGNOU द्वारा 1991 में की गई, जिसने 1992 में कार्य प्रारंभ कर दिया।
- IGNOU का Vice Chancellor (कुलपति) DEC के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते है।

Dr. Mukesh Pancholi

- अगस्त, 2010 में जब MHRD ने दूरस्थ शिक्षा के मानकों की जांच के लिए एक समिति गठित की।
- समिति ने एक नई नियामक संस्था के निर्माण की सिफारिश की और यह भी सिफारिश की, कि जब तक नई संस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक DEC को यूजीसी में स्थानंतरित किया जा सकता हे।
- 29 दिसम्बर, 2012 में MHRD ने एक आदेश प्रकाशित किया, जिसमें दूरस्थ शिक्षा का नियामक प्राधिकरण IGNOU से यूजीसी को स्थानान्तरित कर दिया।
- मई, 2013 में IGNOU ने DEC का भंग कर दिया व उसकी संपूर्ण संपत्ति व जनशक्ति को यूजीसी को दे दिया और UGC ने DEB (Distance Education Bureau) की स्थापना की।

Dr. Mukesh Pancholi

Distance Education Bureau (DEB) – 2013

- मुख्यालय – नई दिल्ली
- भारत में स्थित यूजीसी का एक ब्यूरो है।
- यह भारत में दूरस्थ शिक्षा के विनियमन का प्रभारी है।
- स्थापना – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में नियामक कार्य दिनांक 29.12.2012 को जारी निर्देशों के अनुसार, अब यूजीसी के पास निहित हो गए है।
- दूरस्थ शिक्षा व खुला / मुक्त विश्वविद्यालय में अंतर –

Dr. Mukesh Pancholi

तुलना का आधार	खुला विश्वविद्यालय	दूरस्थ शिक्षा
1. अर्थ	मुक्त विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है, जो खुली प्रवेश दूरी व ऑनलाइन सीखने की नीतियाँ प्रदान करता है।	दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार का शिक्षण है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाता है।
2. प्रकार	यह एक प्रकार का विश्वविद्यालय है।	यह एक प्रकार की शिक्षा विधा है।
3. महाविद्यालय	एक खुले विश्वविद्यालय से कोई संबद्ध कॉलेज नही है, केवल अध्ययन केन्द्र शामिल है।	दूरस्थ शिक्षा में विश्वविद्यालय या पारंपरिक विश्वविद्यालय हो सकता है व इसलिए विभिन्न कॉलेज पारंपरिक विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

Dr. Mukesh Pancholi

तुलना का आधार	खुला विश्वविद्यालय	दूरस्थ शिक्षा
4. उद्देश्य	इसकी स्थापना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जो पारंपरिक में प्रवेश नहीं ले सकते।	दूरस्थ शिक्षा की स्थापना उन लोगों तक शिक्षा पहुँचाने के उद्देश्य से की गई थी, जो नियमित कॉलेजों में भाग लेने में असमर्थ है।
5. शिक्षा माध्यम	खुले विश्वविद्यालय में, शिक्षा केवल दूरस्थ मोड में प्रदान की जाती है।	इसमें शिक्षा एक मुक्त विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय या नियमित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है।

Dr. Mukesh Pancholi

12. वास्तुकला परिषद् (Council of Architecture) –

आर्किटेक्चर अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत् भारत सरकार द्वारा आर्किटेक्चर, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) का गठन किया गया, यह एक्ट 10 सितम्बर, 1972 को लागू हुआ।

यह एक्ट आर्किटेक्ट्स के पंजीकरण के लिए मान्यता प्रदान करता है। पूरे देश में इस पेशे की शिक्षा व व्यवसाय व्यवहार को विनियमित करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

Dr. Mukesh Pancholi

13. पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council) –

RCI की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। सितम्बर 1992 को RCI एक्ट संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह 22 जून 1993 को एक सांविधीक निकाय बन गया था।

उद्देश्य –

- RCI विकलांगता के साथ व्यक्तियों को दी गई सेवाओं को विनियमित करने व निगरानी करने के लिए है।
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में PG/UG/ PG Diploma/Certificate कोर्स चलाने वाले को यह परिषद् मान्यता देता है।

Dr. Mukesh Pancholi

14. ग्रामीण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय परिषद् (NCRI) –

राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद् की स्थापना भारत सरकार द्वारा 19 अक्टूबर, 1995 में की गई थी। NCRI एक उत्प्रेरक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। जो ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में ग्रामीण संस्थानों, गांधीवादी संगठनों, एनजीओ, विश्वविद्यालयों व राज्य सरकारों की एजेंसियों की मदद करता है।

इस उद्देश्य कनई तालीम (गांधवादी बुनियादी शिक्षा) के कार्यक्रमों में लगे संस्थानों को बढ़ावा देना व इस उद्देश्य के शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करना है।

Dr. Mukesh Pancholi

सूक्ष्म स्तर से प्लानिंग के माध्यम से समुदाय के लिए विस्तार सेवाओं का समर्थन व उभरते ग्रामीण व्यवसायों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों का डिजाइन, ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर जोर देने, अनुसंधान को बढ़ावा देने आदि ऐसे सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों व स्वैच्छिक एजेंसियों को गांधीवादी दर्शन की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता है।

अध्यक्ष – Dr. W.G. Prasanna Kumar
(डॉ. वी. जी. प्रसन्ना कुमार)

Dr. Mukesh Pancholi

15. उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषद् (SCHE) –

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा की राज्य परिषदों (SCHE) की स्थापना की है।

ये परिषदें प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के समन्वित कार्यक्रम तैयार करती है, इस प्रकार वे राज्य के साथ उच्च शिक्षा के संस्थानों के प्रयासों और निवेश को मजबूत करना चाहते है।

Dr. Mukesh Pancholi